



राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइसर), भुवनेश्वर
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, BHUBANESWAR
स्थापना और प्रशासन अनुभाग
Establishment & Administration Section

No.-NISER/RO/DPDP/OO/2025-26/220

October 08, 2025

OFFICE ORDER

Director has approved constitution of a Committee for implementation of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act at NISER.

The Committee comprises of the following:

Prof. Chandan Goswami, Professor (SBS)	Chairperson
Registrar	Member
Prof. Himansu Sekhar Biswal, Professor (SCS)	Member
Dr. Abhishek Sahu, Assistant Professor (SCoS)	Member
Dr. Guneshwar Singh Thangjam, Reader - F (SEPS)	Member
Dr. Amarjeet Nayak, Associate Professor (SHSS)	Member
Dr. Deepak Kumar Dalai, Associate Professor (SMS)	Member
Dr. Prasanjit Samal, Associate Professor (SPS)	Member
Mr. A Ananda Raman, SO-E, (Computer Centre)	Member
Shri Ramakant Kar, AO-III, (Academic, Student Affairs)	Member
Mr. Hiralal Das, AO-I, (Finance & Accounts)	Member
Mr. Rajeev Kumar Singh, AO-II (R&D, Directorate)	Member
Mr. Abhaya Kumar Mohanty, AO-II, (Faculty Affairs)	Member
Mr. Chandra Shekhar Mahapatra, AO-I, (Computer Centre, SCS, SEPS)	Member Secretary

The role/responsibility of the committee will be:

- Check and assess existing practices and processes at NISER in the light of DPDP Act,
- Recommend measures, policies, and guidelines for compliance with the Act.
- Oversee the implementation process until completion ensuring that all statutory obligations were met
- Remain responsible for monitoring process until full compliance is achieved and submit periodic reports to the Director.

The Committee will consult relevant stakeholders, prepare an implementation roadmap, complete the implementation and submit periodic progress reports to the Competent Authority. The expected date of completion of implementation is 01 years from the date of issuance of this office order. The tenure of the committee will be till further orders.

Hindi version of the Office Order will follow.



REGISTRAR (Actg.)

Copy to:

1. Persons Concerned
2. Directorate
3. Finance & Accounts Section-*For information and necessary action*



राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइसर), भुवनेश्वर
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, BHUBANESWAR
स्थापना और प्रशासन अनुभाग
Establishment & Administration Section

संख्या: NISER/RO/DPDP/OO/2025-26/ 230

अक्टूबर 08, 2025

कार्यालय आदेश

निदेशक ने नाइसर में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रो. चंदन गोस्वामी, प्राध्यापक (एसबीएस)	अध्यक्ष
कुलसचिव	सदस्य
प्रो. हिमांशु शेखर बिस्वाल, प्राध्यापक (एससीएस)	सदस्य
डॉ. अभिषेक साहू, सहायक प्राध्यापक (एससीओएस)	सदस्य
डॉ. गुणेश्वर सिंह थंगजाम, रीडर-एफ (एसईपीएस)	सदस्य
डॉ. अमरजीत नायक, सह-प्राध्यापक (एसएचएसएस)	सदस्य
डॉ. दीपक कुमार दलाई, सह-प्राध्यापक (एसएमएस)	सदस्य
डॉ. प्रसनजित सामल, सह-प्राध्यापक (एसपीएस)	सदस्य
श्री ए आनंद रमन, वै.अ.-ई, (संगणक केंद्र)	सदस्य
श्री रमाकांत कर, प्र.अ.-III, (शैक्षणिक, विद्यार्थी कार्य)	सदस्य
श्री हीरालाल दास, प्र. अ.-I, (वित्त एवं लेखा)	सदस्य
श्री अभय कुमार महान्ति, प्र.अ.-II, (संकाय कार्य)	सदस्य
श्री राजीव कुमार सिंह, प्र.अ.-II, (अनुसंधान एवं विकास, निदेशालय)	सदस्य
श्री चंद्र शेखर महापात्र, प्र.अ.-I, (संगणक केंद्र, एससीएस, एसईपीएस)	सदस्य सचिव

समिति की भूमिका/उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगी:

- डीपीडीपी अधिनियम के आलोक में एनआईएसईआर में मौजूदा प्रथाओं और प्रक्रियाओं की जाँच और मूल्यांकन करना।
- अधिनियम के अनुपालन हेतु उपायों, नीतियों और दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी तब तक करना जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि सभी वैधानिक दायित्वों को पूरा किया गया है।
- पूर्ण अनुपालन प्राप्त होने तक प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार बने रहना और निदेशक को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

समिति संबंधित हितधारकों से परामर्श करेगी, कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करेगी, कार्यान्वयन पूरा करेगी और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कार्यान्वयन पूरा होने की अपेक्षित तिथि इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से एक (01) वर्ष के लिए होगा। समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा।


कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपिसूचनार्थः

1. संबंधित व्यक्तिगण
2. निदेशालय
3. वित्त एवं लेखा अनुभाग-सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए